महत्वपूर्ण

संख्या– 103 / नौ–9–2014–203ज / 12

प्रेषक,

सी0बी0 पालीवाल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांक 03 फरवरी जनवरी, 2014

विषयः नागर निकायों में विद्युत के दुरूपयोग पर नियंत्रण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या एम0–67 / 9–9–2011– 203ज / 12 दिनांक 24 जुलाई, 2012 एवं संख्या एम0–79 / 9–9– 2011–203ज / 12 दिनांक 25 अगस्त, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेशों के माध्यम से नागर निकायों में विद्युत के दुरूपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से यह दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं कि माह अगस्त, 2012 से नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों से सम्बन्धित बिजली के बिलों का उस समय तक भुगतान नहीं किया जायेगा, जब तक नगर निगमों के सभी नगर आयुक्त और नगर पालिका परिषदों के समस्त अधिशासी अधिकारी लिखित रूप से इस आशय का आश्वासन न दे दें कि उनके कार्यालयों में दिन में अकारण कोई बल्ब और निकाय क्षेत्र में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी तथा सड़कों पर जलने वाली लाइट शत–प्रतिशत सुबह नियत समय पर ही बन्द कर दी जायेगी और यदि किसी नगर निगम / नगर पालिका परिषद के कार्यालय में विद्युत बल्ब या स्ट्रीट लाइट दिन में जलती हुई पायी जाएगी तो वहां बिजली के बिलों का भुगतान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर सभी के वेतन से कराया जाएगा। भविष्य में विद्युत के दुरूपयोग पर प्रभवी नियंत्रण न होने की स्थिति में मूलरूप में जिम्मेदारी नगर आयुक्त, नगर निगम एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत की होगी और नगर निगम पर रू0 20,000 / –,नगर पालिका परिषदों पर रू0 10,000 / –एवं नगर पंचायतों पर रू0 5000 / –तक की धनराशि शासकीय क्षति के रूप में दण्ड स्वरूप

सम्बन्धित दोषी एवं उत्तरदायी अधिकारी के वेतन से नियमानुसार वसूल की जायेगी और साथ ही शासन द्वारा सम्बन्धित नागर निकाय को दी जाने वाली अनुदान राशि में भी कटौती पर विचार किया जा सकता है।

3. उपर्युक्त शासनादेशों के क्रम में नागर निकायों में विद्युत बिलों के भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित करते हुये शासनादेश संख्या 358/9–9–2011–203ज/12 दिनांक 19 फरवरी, 2013 द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि नागर निकायों में स्ट्रीट लाइट, एस0टी0पी0 तथा अन्य प्रकार की सुविधाओं के सम्बन्ध में जो भी विद्युत बिल उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा प्रेषित किये जाते हैं, उनका शत–प्रतिशत परीक्षण सम्बन्धित नागर निकाय के अधिकारियों एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। नगर निगमों में नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी उक्त संयुक्त समिति का सदस्य होगा तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की ओर से अधिकारी का नामांकन, यदि नागर निकाय मण्डल मुख्यालय पर स्थित हो तो मण्डलायुक्त द्वारा अन्यथा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। शेष नागर निकायों में निकाय के प्रतिनिधि एवं उ0प्र0 पााावर कारपोरेशन के प्रतिनिधि दोनों का ही नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति की अनुशंसा के अनुरूप ही विद्युत बिलों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा विद्युत दुरूपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों के बावजूद भी इस प्रकार के तथ्य शासन के संज्ञान में आये हैं कि नागर निकायों में दिन में भी लाइटें जलती रहती हैं, जिससे विद्युत का अपव्यय होता है और अनावश्यक रूप से विद्युत समस्या भी उत्पन्न होती है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

5. अतएव नागर निकायों में विद्युत दुरूपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और यदि किसी स्तर पर शिथिलता परिलक्षित होती है तो दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय और यदि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शासन स्तर से दण्डात्मक कार्यवाही अपेक्षित हो तो औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सी0बी0 पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

hggo-1

संख्या 103 (1)/ नौ–9–2014–203ज/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ)
5. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

31/01/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

hggo-1